App-A
Crim-I

FORM NO - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ~~[illegible]~~ मुकाम ~~[illegible]~~
श्रीमती हरबाई
बनाम अपरिचय वगैरह

किस्म मुकदमा ~~विविध [illegible]~~ प्रकरण सं. 2/2012

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	दि 30-4-18 पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित आज साहब ~~[illegible]~~ चुनाव याचिका में ध्यान दे ~~[illegible]~~ मूलगांव में पेश हो। अतः पत्रावली इलतवा होकर दिनांक 11-5-2018 को पेश हो। दिनांक 11.5.2018 आज यह पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार विधानसभा राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के पक्षकारान को सहायता करने की दृष्टि से व्यय आवंटन वर्ष 2018 के तहत [illegible] मूलगांव में पेश हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थिया [illegible] देवी, धनाराम तथा प्रार्थीगण अंपला, प्रभाराम, [illegible] खासाराम, रूपाराम, [illegible] भूताराम, केलाराम, सवाराम सुनी, [illegible] हुये। सुनवाई के दौरान प्रार्थीगण व [illegible] तथा [illegible] स्टेट [illegible] सरेही की इस [illegible] 30.9 [illegible] लोवोमी पर बहस सुनी गई। [illegible] स्टेट की ओर से उप तहसीलदार [illegible] व [illegible] जावाल से संयुक्त [illegible]	आ. 2.18 खासा रूपाराम रूपाराम भूताराम केसराम शंकरराम नेनु

प्रकरण

धारा वाद बाल्टोघाटा 53 R.T.A. में इस न्यायालय द्वारा एकतरफा निर्णय व डिक्री दिनांक 10.10.2011 को पारित करने संबंधी डी.एन.पी. सीमान के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.10.2011 के विरुद्ध प्रार्थीगण को कानूनी तौर पर सक्षम न्यायालय में अपील करनी चाहिये थी उसे अपील नहीं की गई है तथा विचाराधीन प्रार्थनापत्र को लगभग 6 वर्ष हो चुके है व अनावश्यक पेंडिंग में चल रहा है। अतः यह प्रार्थनापत्र खारिज किया जाना उचित है। हम सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि इस न्यायालय द्वारा कानून वाद धारा 53 R.T.A. में एकतरफा निर्णय व डिक्री दि. 10.10.2011 को जारी हुई है। इस सम्बन्ध में प्रमाणित पत्रधार प्रार्थीगण को उक्त एकतरफा निर्णय व डिक्री दिनांक 10.10.2011 के विरुद्ध विधिवत रूप से सक्षम न्यायालय में अपील का प्रावधान होने से से समयावधि के भीतर अपील करनी चाहिये थी लेकिन प्रार्थीगण ने अपील न कर यह प्रार्थनापत्र आ.9 नियम सीपीसी का पेश किया है जो कि विधि के विरुद्ध है तथा विचारण इस प्रकरण को चलते हुये करीब 6 साल हुये है लेकिन अभी तक प्रार्थीगण की ओर से सम्पत्ति का मौके मौजा बाकली की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। जबकि सीपीसी के आ.9 नि.5 के तहत प्रार्थीगण को अभी अप्रार्थीगण को मौके बाकली की प्रक्रिया 30 दिन के भीतर पूर्ण करनी चाहिये थी। इस प्रकार उपरोक्त प्रार्थनापत्र विधि के विरुद्ध खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। आदेश आज दिनांक खुले न्यायालय में सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर से बस्ता हो।

तिथि 11/5/18

सहायक कलक्टर